बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–01/समिति(बैठक)–133/2013 परि0

दिनांकः 07.09.2016 को सम्पन्न विभागीय अधिकार प्राप्त समिति एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थिति
प्रशाखा–02 एवं 04
प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं 06
प्रशाखा पदाधिकारी–07

आज दिनांक–07.09.2016 को पूर्वाहन 11:00 बजे विभागीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक विशेष सचिव, परिवहन विभाग के अध्यक्षता मे उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन हुई जिसमें निम्न तथ्यो पर विचार किया गयाः–

CWJC (सी0डब्लु0जे0सी0) :–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विगत माह में 67 मामले लंबित थे, इस माह में विभाग द्वारा 2 मामले में कार्रवाई की गयी तथा 05 नये मामले प्राप्त हुए इस माह में कुल लंबित मामले की सं0–70 है जिसमें 40 मामले विभाग से एवं 30 मामले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित है।

समीक्षा के दौरान विशेष सचिव के द्वारा इस पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया साथ ही साथ सभी प्रशाखा को यह निदेश दिया गया अपने–अपने प्रशाखा में या उनसे संबंधित क्षेत्रीय कार्योलयो में लंबित वादों में यथा शीघ्र प्रतिशपथ दायर किया जाय तथा लंबित मामलो का निष्पादन किया जाय।

2. इस संबंध में प्रशाखा 05 एवं 06 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को बार–बार स्मारित किया जा रहा है।

एम0जे0सी0:–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विगत माह मे एम0जे0सी0 के कुल–27 मामले लंबित थे, इस माह में विभाग द्वारा कुल–04 मामले में कार्रवाई की गयी कोई नया मामला प्राप्त नही हुआ है। इस माह में कुल लंबित मामलों की सं0–23 है जिसमें 01 विभाग से एवं 22 मामले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित है।

विशेष सचिव के द्वारा क्षोभ प्रकट करते हुए स्पष्ट निदेश दिया कि एम0जे0सी0 के सारे मामले में यथाशीघ्र कारण पृच्छा दायर किया जाय।

एल0पी0ए0:–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि एल0पी0ए0 के कुल–07 मामले पूर्व से लंबित है जिसमें 02 विभाग के स्तर पर एवं 05 मामले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित है। विशेष सचिव के द्वारा संबंधित प्रशाखा को यह निदेश दिया कि लंबित मामलों में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय।

सेवान्त लाभ:–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में सेवान्त लाभ के निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नही है। इस संबंध में प्रशाखा–07 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भविष्यनिधि के 3 मामले में केवल प्राधिकार पत्र आने पर यह मामला समाप्त हो जायेगा।

विशेष सचिव के द्वारा यह निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में भी यथाशीघ्र सेवान्त लाभ से संबंधित मामले निष्पादित किया जाय।

प्रोन्नतिः–

समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग में दो मामले लंबित है, जिस पर कार्रवाई चल रही है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/विविध–07–21/2016 परि0 5533 पटना, दिनांक– 14/9/16

प्रतिलिपिः– प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/मुख्यालयके सभी पदाधिकारी(प्रशाखा पदाधिकारी सहित) परिवहन विभाग, बिहार, पटमा/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।